06 9/2023 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

इसके पत्रावली का अवलोकन किया व
2021/307 का उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.L.R. Act इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा घोसुण्डा तहसील चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 431 में अंकित आराजीयात कीता 09 कुल रकबा 3.8200 हे० भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की है, जो पूर्व में मूल पुरुष धाली के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। धाली की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र ...... लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

किशनलाल व. 5 (प्रकाश)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रा.पत्र 147/2021 (2021/307)

गणेश, केला, बालू एवं भागीरथ के नाम दर्ज हुई। चूंकि धापी के पुत्र गणेश के कोई संतान नहीं होने से गणेश ने उनके जीवनकाल में अपने भाई भागीरथ के पुत्र बंशीलाल को गोद लिया। कालान्तर में गणेश की मृत्यु के उपरान्त आराजीयात में गणेश का निहित हक हिस्सा विरासत से इंतकाल नम्बर 837 दिनांक 14.7.78 के जरिए बंशीलाल पुत्र गणेश के नाम में दर्ज किया गया। सम्वत् 2046 से 2049 में सेटलमेन्ट की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ~~[illegible]~~ प्रार्थीगण के पिता का नाम बंशीलाल पुत्र गणेश के बजाय केला पुत्र बंशीलाल अंकित कर दिया जो गलत है। इसलिए उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड से केला पुत्र बंशीलाल का नाम विलोपित कर इसके स्थान पर प्रार्थीगण के पिता बंशीलाल पुत्र गणेश अंकित किया जावे एवं प्रार्थीगण के पिता बंशीलाल पुत्र गणेश एवं माता चांदी का स्वर्गवास हो चुका है, अतः बंशीलाल पुत्र गणेश के हक हिस्से को प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड में हुई उक्त त्रुटि को सुधार किए जाने बाबत निवेदन किया गया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड की प्रतियों के अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्टया भू-राजस्व नियमावली 1957 के नियम 166 के तहत निस्तारित किए जाने योग्य है, जिसकी कार्यवाही हेतु तहसीलदार सक्षम

.... लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

A4

किशनलाल Vs सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रा० पत्र 147/2021 (2021/307)

है। अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि बाद जांच प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करके की सुनिश्चितता करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत पोषणीय नही होने से प्रकरण में ~~कार्यवाही~~ इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़